माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन

अय्याज़ अहमद खान*
मोहम्मद उमैर**

अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति एक मार्गदर्शक की तरह है, जो अध्यापकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ शिक्षार्थियों में अच्छे मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। पेशेवर आचार नीति अध्यापकों के जीवन में व्यापक और सार्थक भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत अध्यापक अपना कार्य कर्तव्यनिष्ठा से करते हुए विद्यार्थियों एवं सहकर्मियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार तथा अभिभावकों के साथ मधुर संबंध स्थापित करते हैं। इस शोध पत्र में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्रबंधन तथा अनुभव के आधार पर दो समूहों के मध्य पेशेवर आचार नीति का तुलनात्मक अध्ययन करने का भी प्रयास किया गया है। प्रतिदर्श के रूप में, पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के 100 अध्यापकों का चयन साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया है। इस अध्ययन में शोधार्थी द्वारा स्व-निर्मित पेशेवर आचार नीति मापनी का प्रयोग किया गया था। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक तथा आनुमानिक सांख्यिकी का प्रयोग किया गया। इस शोध अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति उच्च स्तर की है। प्रबंधन तथा अनुभव के आधार पर दो समूहों के अध्यापकों के मध्य पेशेवर आचार नीति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

इस वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धी विश्व में हम अपनी शिक्षा प्रणाली में विविध परिवर्तन देख रहे हैं। परिवर्तन अपरिहार्य हैं, जो समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में भी होते रहते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी भी अपनी रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा का चयन करता है। इसी परिवर्तन के फलस्वरूप अध्यापक और शिक्षण की अवधारणा भी दिन-प्रतिदिन बदलती रहती है, जिसका उदाहरण हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* है। आज के समकालीन युग में अध्यापक के कई कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ हैं। *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* में भी विशेष रूप से अध्यापकों के कई कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत अध्यापकों को विद्यालयों में समय से उपस्थित होना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यचर्या पूरा करना तथा माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित रूप से बैठकें करके बच्चों

**असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल 742 223
***असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल 742 223

की प्रगति के बारे में अवगत कराना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यचर्या निर्माण और पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्यपुस्तक विकास में भी भाग लेना शामिल हैं (*शिक्षा का अधिकार नियम, 2009*)। अध्यापक को अच्छी शैक्षणिक और पेशेवर योग्यता के साथ पेशेवर (व्यावसायिक) आचार नीति (संहिता) का ज्ञान भी होना चाहिए। पेशेवर आचार नीति एक मार्गदर्शक की तरह है, जो अध्यापकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ शिक्षार्थियों में अच्छे मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। पेशेवर आचार नीति अध्यापकों को यह बताती है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने में उनकी प्रमुख भूमिका है। पेशेवर आचार नीति अध्यापकों के जीवन में व्यापक और सार्थक भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत अध्यापक अपना कार्य कर्तव्यनिष्ठा से करते हुए विद्यार्थियों एवं सहकर्मियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार तथा अभिभावकों के साथ मधुर संबंध स्थापित रखते हैं।

आचार संहिता (नीति) व्यवसाय (पेशे) को स्व-नियंत्रित और स्व-शासित बनाती है। यह अपने सदस्यों को दूसरों के पक्षपातपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण व्यवहार से न केवल सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें अनुशासित भी रखती है ताकि वे पेशे के आचार संबंधी (नैतिक) सिद्धांतों तथा आदर्शों का अनुसरण करते रहें। आचार संहिता का निर्माण दो सिद्धांतों— व्यावसायिक (पेशेवर) सत्यनिष्ठा और समाज सेवा के आदर्शों पर आधारित होना चाहिए (*विद्यालयी अध्यापकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता, 2001*)। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण कार्य एक गहन ज़िम्मेदारी का काम है। अन्य पेशों, जैसे— डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि की तुलना में अध्यापक का पेशा जटिल है, क्योंकि अध्यापक, समाज तथा राष्ट्र का निर्माता होता है। अध्यापक का कार्य ज्ञान की रचना करने में विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना और चरित्र का निर्माण करना है। जब तक हमारे पास मूल्यवान तथा क्षमतावान अध्यापक नहीं होंगे तब तक देश में महान दृष्टि और अच्छे चरित्र के नागरिक विकसित नहीं हो सकते हैं। इसलिए अध्यापक की भूमिका एक मानव इंजीनियर की है, जो न केवल बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करता है, बल्कि उच्च स्तर के समाज का भी निर्माण करता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अध्यापक समाज में परिवर्तन लाने व राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्यापक के इस महत्व को शिक्षा आयोग (1964–66) ने बताया है कि, "अध्यापक, राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं और वे अपनी कक्षा में राष्ट्र के भाग्य को आकार देते है।" इस संदर्भ में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986* ने भी कहा है, "अध्यापक की स्थिति समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाती है, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है।" इस तरह की प्रेरणा निस्संदेह रूप से अध्यापकों द्वारा निभाई गई अनिवार्य भूमिका का एक रूप है।

इस दिशा में हुए शोध अध्ययनों, जैसे— कुमारी (2016) ने अपने शोध अध्ययन में बताया है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों के बीच बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर अध्यापक उच्च श्रेणी के हों तो वो शिक्षण की ज़िम्मेदारी को अच्छे से समझ सकेंगे।

इसलिए एक अध्यापक के पास नैतिकता का कोड (संहिता या नीति) होना चाहिए, जिसे नैतिक सिद्धांतों का सेट कहा जा सकता है। कन्नान (2016) ने अपने शोध अध्ययन के द्वारा व्यावसायिक नैतिकता को गतिविधि व जाँच की प्रक्रिया बताया है और इसे गैर-नैतिक समस्याओं से अलग माना है। जब हम किसी मुद्दे व विवादों से निपटने का प्रयास करते हैं, तब नैतिकता पर अध्ययन करने से अध्यापकों के विश्वास, मूल्य और आचार नीति को जानने में सहायता मिलती है। रावत और अन्य (2012) के शोध अध्ययन से ये पता चलता है कि जागरूकता और व्यावसायिक नैतिकता के क्षेत्र में लोगों में रुचि बढ़ी है। वास्तव में, शिक्षा के विकास के इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं है, जहाँ व्यावसायिक नैतिकता की आवश्यकता को महत्व न दिया गया हो। अतः इस शोध अध्ययन के द्वारा शोधार्थी द्वारा अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन किया गया।

शोध का औचित्य

अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2010 में सार्वभौमिक रूप से किसी भी पेशे की तरह अध्यापकों के लिए भी पेशेवर (व्यावसायिक) नैतिकता की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए समस्त ज़िममेदारियों का कर्तव्यनिष्ठा के साथ निष्पादन करें। आज हमारा समाज नैतिक मूल्यों के पतन का सामना कर रहा है। इस पतन के कारण, लगातार संघर्ष और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जबकि हमारे पेशे और क्षमताओं में असाधारण रूप से सुधार हुआ है। मानव समाज की नैतिक मूल्य-प्रणाली में बहुत से बदलाव हुए हैं। प्रकाशा और जेयामा (2012) ने बताया की बहुत जल्दी वह दिन आएगा, जब हमारे पास अत्याधुनिक गैजेट, यूरोपियन जीवन-शैली तथा भौतिकवादी मनोदृष्टि होगी। लेकिन हमारे परिवार और समाज में मूल्यों का अभाव होगा। इस भौतिकवादी युग में हर क्षेत्र में नैतिकता में कमी आई है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानव मूलरूप से अवसरवादी हो गया है। हालाँकि, यह मानव के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, जिसके फलस्वरूप हमारी पेशेवर दक्षता में भी कमी आने लगी है। जब हम अपने जीवन में उच्च स्तर की ओर जाने का प्रयास करते हैं, तो हमें अपने कार्य के प्रति और अधिक निष्ठावान होना पड़ता है।

अयेनी (2018) ने सेकंडरी स्कूल के अध्यापकों पर अपने शोध अध्ययन में यह पाया कि पेशेवर आचार नीति तथा अनुदेशात्मक कार्य के मध्य सार्थक संबंध है। अतः यह स्पष्ट होता है कि वह सभी अध्यापक जो पेशेवर आचार नीति का पालन करते हैं और नियमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं; वह निश्चित रूप से अपने कार्य में उत्कृष्ट होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी राष्ट्र की क्षमता का मूल्यांकन अध्यापकों के निष्पादन और उनके योगदान के आधार पर किया जाता है और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अगर अध्यापक में उच्च स्तर की पेशेवर आचार नीति होगी, तो समाज और राष्ट्र का निर्माण भी उच्च स्तर का होगा। अध्यापक निरंतर स्वयं के विकास के लिए और साथ ही अपने पेशेवर कौशल के विकास के लिए लगातार प्रयासरत

रहते हैं। वह अपने पेशेवर कौशल के विकास के द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। कई संस्थानों द्वारा अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति से संबंधित मानक विकसित किए गए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (2001) ने अखिल भारतीय प्राथमिक स्तर के अध्यापक संगठनों और उच्च कोटि के शिक्षाविदों के सहयोग से अध्यापकों के लिए एक आचार संहिता तैयार की, जो मुख्य रूप से पाँच पेशेवर आदर्शों पर आधारित सूचीबद्ध है, जिसमें अध्यापकों का संबंध विद्यार्थियों, अभिभावकों या माता-पिता, समाज और राष्ट्र, अपने पेशे और सहकर्मियों तथा प्रबंधन या प्रशासन से बताया गया है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (2015) ने भी अध्यापकों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण किया। जो मुख्यतः विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक का कर्तव्य, अभिभावकों के प्रति अध्यापक का कर्तव्य तथा सहकर्मियों के प्रति अध्यापक का कर्तव्य आदि पर आधारित है। हाल ही में इस संदर्भ में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने भी अध्यापक की पेशेवर आचार नीति के महत्व को स्वीकार करते हुए अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानकों का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट विकसित करने की बात कही है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह शोध अध्ययन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेशेवर आचार नीति का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है, ताकि अध्यापक इसके महत्व को समझें और अपना कार्य पूर्ण लगन व निष्ठा से करें, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा।

समस्या कथन

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन करना।

समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दों की क्रियात्मक परिभाषाएँ

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा चयनित समस्या में उपयोग किए गए शब्दों की क्रियात्मक परिभाषाएँ—

माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक

माध्यमिक विद्यालय से अभिप्राय सेकंडरी स्कूल या हाई स्कूल स्तर की शिक्षा से है। इसके अंतर्गत कक्षा 10 तक की विद्यालयी शिक्षा शामिल है। अतः इस शोध अध्ययन में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों से अभिप्राय केवल वही अध्यापक हैं, जो कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं।

पेशेवर आचार नीति

पेशेवर आचार नीति से अभिप्राय पेशे (व्यवसाय) के प्रति नैतिक मापदंडों और आदर्शों से है। यह नैतिक मापदंड, अध्यापकों का समय से स्कूल में उपस्थित होना, नियमबद्ध तरीके से कार्य करना, कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठा, संस्थान के हितधारकों (विद्यार्थियों, सहकर्मियों तथा अभिभावकों) से मधुर संबंध स्थापित करना आदि के संदर्भ में हो सकता है।

शोध के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य थे—

- माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन करना।
- माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्रबंधन तथा अनुभव के आधार पर दो समूहों के मध्य पेशेवर आचार नीति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ

इस शोध अध्ययन की शून्य परिकल्पनाएँ थीं—

- सरकारी एवं गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- माध्यमिक विद्यालयों के पाँच वर्ष से अधिक एवं पाँच वर्ष से कम अनुभवी अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध अध्ययन की परिसीमाएँ

इस शोध अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण केवल पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जनपद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को शोध अध्ययन के लिए चयनित किया गया था।

शोध अध्ययन विधि

यह शोध, शोध की वर्णनात्मक विधि पर आधारित है। इसमें वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया था।

जनसंख्या तथा प्रतिदर्श

यह शोध अध्ययन पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जनपद के माध्यमिक स्तर के अध्यापकों पर किया गया था। प्रतिदर्श के रूप में अध्यापकों के चयन हेतु सर्वप्रथम मुर्शिदाबाद ज़िला विद्यालय परिदर्शक कार्यालय से सरकारी एवं गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की सूची प्राप्त की गई। तत्पश्चात् इस जनपद से 10 सरकारी एवं 10 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का चयन साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया था। इसके बाद चयनित 20 माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत अध्यापकों में से 100 अध्यापकों (50 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के तथा 50 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों) का चयन लाटरी विधि द्वारा किया गया। प्रत्येक 50 सरकारी एवं गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 25 पुरुष अध्यापक तथा 25 महिला अध्यापक सम्मिलित थीं। अतः न्यादर्श के रूप में कुल 100 अध्यापकों का चयन किया गया था।

शोध उपकरण

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित पेशेवर आचार नीति मापनी का प्रयोग आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया गया। यह मापनी पेशेवर आचार नीति से संबंधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित दायित्वों, जैसे— विद्यार्थियों, अभिभावकों, समुदाय, पेशा (व्यवसाय) एवं सहकर्मियों के प्रति अध्यापक के दायित्वों पर आधारित है। इस मापनी में कुल 20 प्रश्न हैं। जिसकी विश्वसनीयता का गुणांक .67 है, जो टेस्ट एवं रीटेस्ट विधि के द्वारा निर्धारित किया गया। पेशेवर आचार नीति मापनी में त्रिस्तरीय रेटिंग स्केल का प्रयोग किया गया व +3, +2 तथा +1 पूर्णांक सहमत, अनिश्चित एवं असहमत प्रतिक्रिया हेतु प्रदान किए गए। प्रश्नों के उत्तर न देने पर 'शून्य अंक' प्रदान किया गया। शोधार्थी द्वारा पेशेवर आचार नीति संबंधी प्राप्त अंकों को त्रिस्तरीय क्रमानुसार, उच्च स्तर आचार नीति (45 से 60 अंक), औसत स्तर की आचार नीति (25 से 44 अंक) तथा निम्न स्तर की आचार नीति (24 अंक या 24 से कम अंक) में विभक्त किया गया है। परीक्षण की अवधि 30 मिनट निर्धारित की गई थी। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक तथा आनुमानिक सांख्यिकी दोनों का प्रयोग किया गया था।

विश्लेषण तथा विवेचना

इस शोध अध्ययन से संबंधित आँकड़ों के विश्लेषण के लिए उपयुक्त सांख्यिकी प्रविधियों की सहायता से प्रदत्तों का विश्लेषण किया गया। जिसका उद्देश्यवार विवरण एवं विवेचना निम्न प्रकार है—

प्रथम उद्देश्य—माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन करना

इस शोध अध्ययन का प्रथम उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति के स्तर का अध्ययन करना है। इस शोध में आँकड़ों को स्वनिर्मित पेशेवर आचार नीति मापनी के द्वारा एकत्रित किया गया। इसके पश्चात् प्राप्त आँकड़ों के आधार पर पेशेवर आचार नीति को तीन स्तरों (उच्च स्तर, औसत स्तर तथा निम्न स्तर) में विभाजित किया गया। इस मापनी की सहायता से एकत्रित आँकड़ों के विश्लेषण के लिए आवृत्ति तथा प्रतिशत मूल्य गणना का प्रयोग किया गया। आँकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को तालिका 1 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 93 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति उच्च स्तर की पाई गई है। जबकि केवल सात प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक ऐसे पाए गए जिनकी पेशेवर आचार नीति औसत स्तर की है। परिणामस्वरूप यह पाया गया कि अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति उच्च स्तर की है। अतः निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार हैं तथा विद्यार्थी, संस्था एवं समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए नीतिबद्ध तरीके से कार्य करते हैं अर्थात् हम यह कह सकते हैं कि पेशेवर आचार नीति का पालन करके अध्यापक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं और शिक्षण पेशे में होने से गौरवान्वित होते हैं। इस परिणाम के विपरीत कुची (2017) ने अपने शोध अध्ययन में यह पाया कि प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक औसत स्तर की पेशेवर आचार नीति रखते हैं।

द्वितीय उद्देश्य— माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्रबंधन तथा अनुभव के आधार पर दो समूहों के मध्य पेशेवर आचार नीति का तुलनात्मक अध्ययन करना

इस शोध का द्वितीय उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के सरकारी एवं गैर-सरकारी अध्यापक और पाँच वर्ष से अधिक एवं पाँच वर्ष से कम अनुभवी अध्यापक दोनों समूहों की पेशेवर आचार नीति के मध्य तुलना करना था। इस उद्देश्य हेतु प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण

तालिका 1— माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति

पेशेवर आचार नीति का स्तरू	आवृत्ति	प्रतिशत
उच्च स्तर की पेशेवर आचार नीति	93	93
औसत स्तर की पेशेवर आचार नीति	07	07
निम्न स्तर की पेशेवर आचार नीति	00	00
योग	100	100.00

मध्यमान, मानक विचलन एवं t-परीक्षण द्वारा किया गया। आँकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् प्राप्त परिणामों को तालिका (2 व 3) में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2 से यह स्पष्ट है कि पेशेवर आचार नीति मापनी में सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों का मध्यमान (51.31) गैर-सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के मध्यमान (50.56) की तुलना में अधिक है। परंतु t-मान 0.67 (*df*-98) है। जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.99 तालिका मान से कम है। अतः प्रबंधन के आधार पर दोनों समूहों में सांख्यिकी रूप से कोई सार्थक अंतर नहीं है। अत: शून्य परिकल्पना 'सरकारी एवं गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है', स्वीकृत की जाती है। प्रबंधन के आधार पर सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति में अंतर का न होना एक सकारात्मक सूचना देता है कि हमारे समाज में सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के अध्यापक दोनों ही अपने पेशेवर (व्यावसायिक) दायित्व का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी से करते हैं। अतः दोनों समूहों के अध्यापक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों एवं तकनीकों को प्रयोग करते हैं, जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ये सभी अध्यापक एवं अभिभावकों के साथ मधुर संबंध स्थापित रखते हैं। नाज़ (2020) ने अपने शोध अध्ययन में यह पाया कि सरकारी एवं निजी संस्थाओं में कार्यरत विद्यार्थी-अध्यापक, एकसमान पेशेवर आचार नीति रखते हैं और दोनों पेशेवर आचार नीति के प्रति मज़बूत धनात्मक अनुभूति रखते हैं। धिनाकरण और शिवकुमार (2014) ने अपने शोध कार्य में यह पाया कि प्रबंध के आधार पर हाई स्कूल के अध्यापकों के मूल्यों और पेशेवर आचार नीति में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि अध्यापक चाहे सरकारी सेवा में हो या गैर-सरकारी सेवा में, सभी नियमों एवं आचार नीति को पूर्ण रूप से मानते हैं और नियमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं।

तालिका 3 का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि पेशेवर आचार नीति मापनी में अधिक अनुभवी अध्यापकों का मध्यमान 59.67, कम अनुभवी अध्यापकों के मध्यमान 47.53 की तुलना में अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि अधिक अनुभवी अध्यापक अधिक पेशेवर आचार नीति का पालन करते हैं। अधिक अनुभवी होने के कारण ये अध्यापक अपने विद्यार्थियों के मानसिक स्तर से सामंजस्य स्थापित करने, पाठ्यचर्या क्रियान्वयन में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं का ध्यान रखने तथा अपने सहकर्मियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करने में अधिक सक्षम होते हैं। वह ऐसे वातावरण का निर्माण

तालिका 2— प्रबंधन के आधार पर पेशेवर आचार नीति मापनी से प्राप्त आँकड़ों के मध्यमान, मानक विचलन व t-मान की गणना

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t-मान	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालयों के अध्यापक	50	51.31	4.33	0.67	0.05 पर स्वीकृत
गैर-सरकारी विद्यालयों के अध्यापक	50	50.56	8.92		

तालिका 3— अनुभव के आधार पर पेशेवर आचार नीति मापनी से प्राप्त आँकड़ों के मध्यमान, मानक विचलन व t-मान की गणना

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t-मान	सार्थकता स्तर
पाँच वर्ष से अधिक अनुभवी अध्यापक	62	59.67	9.45	1.56	0.05 पर स्वीकृत
पाँच वर्ष से कम अनुभवी अध्यापक	38	47.53	7.56		

करते हैं, जो आपसी सद्भाव एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी साथियों के विचारों पर आधारित होते हैं, परंतु सांख्यिकी दृष्टिकोण से अनुभव के आधार पर अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति में कोई सार्थक अंतर नहीं है। तालिका 3 से यह स्पष्ट होता है कि t-मान 1.56, तालिका मान 1.99 (0.05 सार्थकता स्तर पर) से कम है। अत: शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक विद्यालयों के पाँच वर्ष से अधिक एवं पाँच वर्ष से कम अनुभवी अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है', स्वीकृत की जाती है। अतः कह सकते हैं कि अनुभव नैतिकता को प्रभावित नहीं करता है और अधिकांश अध्यापक अपने विद्यार्थियों, सहकर्मियों एवं प्रशासन के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कुची (2017) ने जम्मू एवं कश्मीर के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों पर अपने शोध में अलग परिणाम पाया, इनके शोध के अनुसार अधिक अनुभवी तथा योग्य अध्यापक ज़्यादा पेशेवर आचार नीति रखते हैं। वह अपने दायित्व का निर्वहन कम अनुभवी एवं कम योग्य अध्यापकों की तुलना में भली प्रकार करते हैं।

निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति उच्च स्तर की है अर्थात् यह सभी अध्यापक विद्यार्थियों, अभिभावकों, समुदाय और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर्तव्यनिष्ठा से करते हैं। विद्यालय प्रबंधन के आधार पर सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। साथ ही, शोध अध्ययन में यह भी पाया गया कि अधिक अनुभवी अध्यापकों एवं कम अनुभवी अध्यापकों के मध्य पेशेवर आचार नीति में कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात् प्रत्येक आयु वर्ग के अध्यापक एकसमान पेशेवर आचार नीति का पालन करते हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध अध्ययन में चयनित समस्या शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपर्णू है। आज यह आवश्यक है कि अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन विभिन्न पहलुओं से किया जाए, क्योंकि अध्यापक यदि अपने पेशे (व्यवसाय) में पेशेवर आचार नीति का पालन करते हैं, तो वह विद्यालय में अपनी भूमिका का प्रभावी निष्पादन करने में सक्षम होंगे। इस शोध अध्ययन के निष्कर्षों से यह संतोषजनक परिणाम सामने आया कि अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति उच्च स्तर की है। परंतु अभी भी कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो पूर्ण रूप से अपने पेशे में पेशेवर आचार नीति का पालन

नहीं करते हैं। इस निष्कर्ष से सरकारी एवं गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों को स्पष्ट रूप से ये संकेत मिलता है कि यदि अध्यापक पूर्ण रूप से पेशेवर आचार नीति का पालन करते हैं, तो विद्यालय में अच्छे शैक्षिक वातावरण का निर्माण होगा।

अतः प्रत्येक विद्यालय को अपने अध्यापकों के लिए पेशेवर आचार संहिता विकसित करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अध्यापकों द्वारा उसका उल्लंघन न हो। प्रत्येक विद्यालय अनुभवी अध्यापकों की एक समिति का गठन करे। यह समिति अध्यापकों के लिए पेशेवर आचार नीति मानक विकसित करने के साथ इनके पालन के लिए सभी अध्यापकों को प्रेरित करे। समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों, जैसे— संगोष्ठी, व्याख्यान, कार्यशाला आदि का आयोजन विद्यालयी स्तर पर होना चाहिए, ताकि अध्यापकों को विद्यार्थियों, समुदाय एवं समाज के प्रति उनके दायित्व से अवगत कराया जा सके और समाज हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विद्यार्थी-अध्यापकों के लिए पेशेवर आचार नीति मानक विकसित करें और साथ में इसके पालन के लिए कठोर प्रावधान बनाए। जिसके फलस्वरूप भावी अध्यापक इसका पूर्ण रूप से पालन करना सीख सकें। इस शोध अध्ययन के माध्यम से यह सुझाव दिया जाता है कि चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों आदि की तरह अध्यापकों के लिए भी एक शपथ होनी चाहिए, ताकि अध्यापक पेशे में जुड़ने से पूर्व पेशेवर आचार नीति के प्रति ईमानदार रहने की प्रतिज्ञा ले सकें। अतः निष्कर्ष के आधार पर कह सकते हैं कि प्रत्येक अध्यापक को पेशेवर आचार नीति में उच्च कोटि का होना चाहिए तभी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है।

संदर्भ

अयेनी, ए. जे. 2018. टीचर्स प्रोफ़ेशनल एथिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल परफ़ोर्मेंस ऐज़ कॉरिलेट्स ऑफ़ स्टूडेंट्स अकेडमिक परफ़ॉर्मेंस इन सेकंडरी स्कूल्स इन ओवो लोकल गवर्मेंट, ओनडो स्टेट, नाइजेरिया. *एडवांसेज इन सोशल साइंसेज रिसर्च जर्नल*. 5(8), पृष्ठ संख्या 611–622.

कन्नान, जी. 2016. ए प्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑफ़ प्रोफ़ेशनल एथिक्स इन टीचर एजुकेशन. *शन्लैक्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशन*. 4(2), पृष्ठ संख्या 36–40. 15 जनवरी, 2021 को http://www.shanlaxjournals.in/pdf/EDN/V4N2/EDN_V4_N2_007.pdf से प्राप्त किया गया है.

कुची, एस. ए. 2017. *प्रोफ़ेशनल एथिक्स अमंग प्राइमरी स्कूल टीचर्स*. 30 जनवरी, 2021 को https://www.researchgate.net/publication/343151373_Professional_Ethics_among_Primary_School_Teachers से प्राप्त किया गया है.

कुमार, जे. एस. 2015. एन एप्रोच टू प्रोफ़ेशनल एथिक्स एजुकेशन फ़ॉर प्री-सर्विस टीचर्स. *एजुकेशनल क्वेस्ट—एन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एंड अप्लाइड सोशल साइंसेज*. 6(1), पृष्ठ संख्या 61–67. 15 जनवरी, 2021 को https://www.proquest.com/com/openview/9863d7d7b1c91b50da05648ae409d07a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2032163 से प्राप्त किया गया है.

कुमारी, जे. 2016. इन्विज्निंग प्रोफ़ेशनल एथिक्स इन टीचिंग प्रोफ़ेशन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज*. 6(12), पृष्ठ 244–250. 15 जनवरी, 2021 को https://euroasiapub.org/wp-content/uploads/2017/01/22ESSDec-4416-1.pdf से प्राप्त किया गया है.

धिनाकरण, वी. और आर. शिवकुमार. 2014. ए स्टडी ऑन मोरालिटी एंड प्रोफ़ेशनल एथिक्स ऑफ़ हाई स्कूल टीचर्स. *जर्नल ऑफ़ कंटेम्परारी एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन*. 4(6), पृष्ठ संख्या 35–38.

नाज़, आई. 2020. परसेप्शन ऑफ़ प्रोफ़ेशनल एथिक्स एंड पर्सनल वैल्यूज़ ऑफ़ स्टूडेंट टीचर्स इन गवर्मेंट एंड प्राइवेट इंस्टिट्यूशंस. *स्टडीज़ इन इंडियन प्लेस नेम्स*. 40(10), पृष्ठ संख्या 772–778. 30 जनवरी, 2021 को https://www.researchgate.net/profile/Ishrat-Naaz-2/publication/340580127_Perception_of_Professional_Ethics_and_Personal_Values_of_Student_Teachers_in_Government_and_Private_Institutions/links/5e91e99f299bf130798fc970/Perception-of-Professional-Ethics-and-Personal-Values-of-Student-Teachers-in-Government-and-Private-Institutions.pdf से प्राप्त किया गया है.

न्याय मंत्रालय. 2009. *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009*. पृष्ठ संख्या 08–11. भारत का राजपत्र, भारत सरकार. 6 जुलाई, 2021 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/rte.pdf से प्राप्त किया गया है.

प्रकाश, जी. एस. और एच. आर. जेयामा. 2012. प्रोफ़ेशनल एथिक्स ऑफ़ टीचर्स इन एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस. *अर्था-जर्नल ऑफ़ सोशल साइंसेज*. 11(4), पृ. 25–32. 30 जनवरी, 2021 को http://journals.christuniversity.in/index.php/artha/article/view/392 से प्राप्त किया गया है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986*. भारत सरकार. 30 जनवरी, 2021 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE86-mod92.pdf से प्राप्त किया गया है.

———. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. पृष्ठ संख्या 35. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

रावत, एस. के., ए. यादव, और एस. करकरे. 2015. डिक्लाइन ऑफ़ प्रोफ़ेशनल एथिक्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम. *इंटरनेशनल जर्नल ऑन रीसेंट एंड इनोवेशन ट्रेंड्स इन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन*. 3(7), पृष्ठ संख्या 4775–4777. 30 जनवरी, 2021 को https://www.researchgate.net/publication/287984359_Decline_of_Professional_Ethics_in_Indian_Education_System से प्राप्त किया गया है.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्. 2010. *पेशेवर और मानवीय अध्यापक तैयार करने की दिशा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्*. भारत सरकार. 30 जनवरी, 2021 को https://scert.assam.gov.in/sites/default/files/swf_utility_folder/departments/scert_medhassu_in_oid_6/portlet/level_2/1.%20NCFTE_2010.pdf से प्राप्त किया गया है.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2001. *विद्यालयी अध्यापकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता* (अखिल भारतीय प्राथमिक तथा माध्यमिक अध्यापक महासंघ और शिक्षाविदों ने एन.सी.ई.आर.टी. के तत्वाधान में आयोजित कार्यगोष्ठियों में तैयार किया). रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय. 2015. *कोड ऑफ़ प्रोफ़ेशनल एथिक्स फ़ॉर टीचर*. पृष्ठ संख्या 88–90. 10 जुलाई, 2021 को http://www.niepa.ac.in/New/Download/Publications/UnPriced/Model_Education_Code.pdf से प्राप्त किया गया है.

शिक्षा मंत्रालय. *राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964–66*. भारत सरकार. 30 जनवरी, 2021 को https://dtfdu.files.wordpress.com/2013/02/kc_v3.pdf से प्राप्त किया गया है.